न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-55/2017/टोंक (2017/00029)

1. राधेश्याम पुत्र माधो,
2. ग्यारसीलाल पुत्र माधो,
3. सीताराम पुत्र माधो,
4. बालूराम पुत्र माधो,

समस्त जाति माली, निवासी भीखापुरा, वार्ड नं0 1, टोंक जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामनिवास पुत्र गोपी,
2. शंकरी पुत्री गोपी,

दोनों जाति माली, निवासी भीखापुरा, वार्ड नं0 1, टोंक, जिला टोंक ।

3. सीताराम पुत्र किशन,
4. मुकेश पुत्र किशन,

दोनों जाति माली, निवासी सोलनपुरा, तह0 व जिला टोंक ।

5. मन्ना पुत्री भूरी पत्नि रामदेव, जाति माली, नि0 जिन्सी चौराहा, टोंक ।
6. नगर परिषद, टोंक ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक जिला टोंक ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 29.5.2017 अंतर्गत अपील संख्या 52/2015.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांक :- 14.6.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 2326 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2398 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 2402 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2405 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2406 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 2707 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा के मूल खातेदार हरदेवा थे जिनके देहांत के पश्चात् उक्त आराजियात मु0 मांगी बेवा हरदेवा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई । मु0 मांगी बेवा हरदेवा की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 24.4.1987 को गोपी, माधो पि0 काना व भूरी पुत्री काना, कौम माली के नाम तस्दीक किया गया । अपीलांटस ने स्वंय को मृतक मांगी का वारिस बताते हुए तथाकथित नामांतकरण संख्या 295 को अधी0न्याया0 में चुनौती दी । विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा अपीलांटस की अपील को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, टोंक द्वारा नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 24.4.1987 स्वीकृत करते समय अपीलांटस के पिता माधो को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा ना ही विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् कोई जांच ही की गई, जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरीत होने निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है, रेस्पोडेंटस या उनके पूर्वजों का कभी भी विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं रहा है । विवादित आराजियात के मूल खातेदार हरदेवा थे जिनके कोई पुत्र एवं पुत्री नहीं होने से हरदेवा ने अपने जीवनकाल में अपीलांटस के पिता माधो को अपना वारिस बना लिया था तथा माधो हरदेवा के यहां वारिस की हैसियत से रहा एंव विवादित आराजियात पर काबिज काश्त रहा है । उक्त तथ्य को मांगी बेवा हरदेवाा द्वारा नामांतकरण संख्या 241 में स्वंय स्वीकार किया है कि '' मेरा लड़का माधो नाबालिग था इसलिये मैंने अपना नाम खाता में दर्ज करा लिया । आज मेरा लड़का बालिग है और सब काम खुद करता है, मैं चाहती हूं कि खाता हाजा से मेरा नाम खारिज कर दिया जावे और माधो का नाम दर्ज कर दिया जावे । सिवाय माधो के और कोई लड़का नहीं है, ना ही और कोई वारिस है ।'' मु0 मांगी द्वारा स्वंय उक्त कथन करने पर नामांतकरण संख्या 241 माधो पुत्र हरदेवा के नाम भरा गया था तथा पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु निर्देशित किया गया

था परन्तु उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में मांगी बेवा हरदेवा के नाम ही रही । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट्स या उनके पूर्वजों का मांगी से कोई संबंध नहीं था, ऐसी स्थिति में उनके नाम नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था । मु0 मांगी की स्वंय की स्वीकारोक्ति से यह पूर्णतया सिद्ध था कि अपीलांट्स के पिता माधो मृतक खातेदार हरदेवा एवं मांगी का वारिस है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरंदाज कर मु0 मांगी की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि के मौके की जांच किये बिना तथा बिना अपीलांट्स के पिता को नोटिस जारी किये रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 295 तस्दीक करने के आदेश पारित किये जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य प्रभावी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2017 एवं तहसीलदार, टोंक द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 24.4. 1987 को निरस्त किया जावे विवदित आराजियात अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे । xx

4- जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया कि दोनों विद्वान अधी0न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट्स के पिता माधो मृतक खातेदार हरदेवा एवं मु0 मांगी का वारिस नहीं है एवं ना ही कभी हरदेवा या मांगी ने अपीलांट्स के पिता माधो को गोद लिया था। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 878 दिनांक 26.2.2001 एवं 934 दिनांक 22.5.2001 से नगर परिषद, टोंक की खातेदारी में दर्ज हुई है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील के तथ्यों को साबित करने में असफल रहने से विद्वान जिला कलक्टर, टोक ने अपीलांट्स की अपील अपास्त की है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का खातेदार मृतक हरदेवा था । हरदेवा की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 241 मु0 मांगी बेवा हरदेवा के नाम तस्दीक किया गया था । उक्त नामांतकरण पर यह नोट अंकित है कि "मु0 मांगी बेवा हरदेवा ने खुद जाहिर किया कि मेरे खाविन्द के फौती पर मेरा लड़का माधो नाबालिग था इसलिये मैंने अपने नाम खाता हाजा में दर्ज करा लिया । अब मैरा लड़का काबिज है और मैं खुद चाहती हूं कि खाता हाजा से मेरा नाम खारिज कर दिया जावे और माधो के नाम दर्ज कर दिया जावे । सिवाय माधो के मेरे और कोई लड़का नहीं है और ना ही और कोई वारिस है ।" पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात माधो के नाम दर्ज नहीं कर मु0 मांगी के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही । तत्पश्चात् मु0 मांगी की मृत्यु होने पर मृतक खातेदार मांगी की विवादित आराजियात का फौती नामांतकरण मु0 मांगी के बजाय गोपी, माधु पि0 काना व भूरी पुत्री काना

कौम माली के नाम नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 24.4.1987 को तस्दीक किया गया है । अपीलांट पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2062 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 1663, 1666, 1667, 1670, 1972, 1673, 1674 का इंद्राज माधो पुत्र हरदेवा 1/2 व लक्ष्मी दुख्तर गंगलिया पुत्री हरदेवा 1/2 हिस्सा अंकित है । उक्त इंद्राज से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजियात तो खातेदार हरदेवा की मृत्यु उपरांत माधो के नाम दर्ज हो गई थी किन्तु विवादित आराजियात जो मु0 मांगी के नाम दर्ज थी, मांगी की मृत्यु उपरांत मांगी के बजाय गोपी, माधू पि0 काना व भूरी पुत्री काना कौम माली के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 295 दर्ज की गई हैं। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उपरोक्त आराजियात बाबत् माधो के नाम दर्ज इंद्राज को चुनौती क्यों नहीं दी गई इस संबंध में रेस्पो0 ने बहस में अवगत नहीं कराया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध इकरारनामा 6.7.1991 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के वर्तमान खातेदार गोपी, माधो पि0 काना व भूरी पुत्री काना ने विवादित आराजियात के संबंध में बाल मुकन्द सैनी को विवादित भूमि पर प्लाटिंग करने एवं बैचान करने हेतु अधिकृत किया है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत मुख्तारनामा आम दिनांक 17.6.1991 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के वर्तमान खातेदार गोपी, माधो पि0 काना व भूरी पुत्री काना ने विवादित आराजियात के संबंध में बाल मुकन्द सैनी को विवादित भूमि पर प्लाटिंग करने एवं बैचान करने एवं न्यायालय में वाद इत्यादि की कार्यवाही हेतु मुख्तयारआम नियुक्त किया है । उक्त मुख्तयारआम में अपीलांट्स के पिता गोपी ने विवादित भूमि स्वंय तथा माधो पि0 काना व भूरी पुत्री काना की होना अंकित किया है । इस प्रकार अपीलांट्स के पूर्वज गोपी की स्वंय की स्वीकारोक्ति है कि विवादित भूमियां गोपी, माधो पि0 काना एवं भूरी पुत्री काना की संयुक्त भूमियां है । एक तरफ तो अपीलांट्स के पिता तथाकथित नामांतकरण में दर्ज भूमियों बाबत् दर्ज इंद्राज से सहमत है तथा दूसरी तरफ अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 295 को चुनौती दी है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलांट्स के पिता मृतक मांगी का एकमात्र वारिस हो । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांट्स की अपील अपास्त की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.5.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 55/2017 (2017/00029) बउनवानी राधेश्याम बनाम रामनिवास को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपील संख्या 52/2015 बउनवान राधेश्याम बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 29.5.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर